

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 88/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/107

1. नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

— अपीलान्त

1. पूर्णचन्द्र पुत्र रामदिता जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 16, सूरतगढ़ जिला
श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित:

श्री बहादुरराम सुथार
श्री बालकिशन शर्मा

अभिभाषक अपीलांत
अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स

निर्णय

दिनांक 17.04.2023

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 के
विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—


- 1- वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 313/10 तादादी
2.530 हैक्टर रकबा तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.06.2006 द्वारा
पूर्णचन्द्र पुत्र रामदिता का टी.सी आवंटन निरस्त कर दिया। तहसीलदार
सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.06.2006 से व्यथित होकर रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में अपील अन्तर्गत धारा 75
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश की। उक्त अपील पर
निर्णय पारित करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक
11.11.2021 को कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 313/10 तादादी 2.530
हैक्टर भूमि की अपील को स्वीकार कर तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक
03.06.2006 को निरस्त कर दिया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़
के अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील
प्रस्तुत की है।


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2- अभिभाषक अपीलान्त ने प्रार्थना धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलान्त को मियाद में शुमार किया जाता है।

3- विद्वान अभिभाषक अपीलान्त श्री बहादुरराम सुथार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। विवादित कृषि भूमि तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.06.2006 द्वारा नगरपालिका परिधि में आ जाने के आधार पर टी.सी आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त भूमि नगर पालिका को हस्तातरीत हो चुकी है। रेस्पोजेन्ट सं. 1 का ना तो मौके पर कब्जा काश्त है। अस्थाई आवंटन मात्र एक वर्ष हेतु किया जाता है जो स्वतः ही नवीनीकरण के अभाव में खारिज हो जाता है। नवीनीकरण नहीं होने पर खारीज हो जाता है परन्तु टी सी ऑवटी ने सन 1986 से लेकर 2006 तक टी.सी नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया और ना ही कभी रकम जमा करवाई। ऐसा आवंटन नवीनीकरण के अभाव में शुन्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.11.2021 निरस्त कर अपील अपीलान्त स्वीकार की जावे।

4- विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट श्री बालकिशन शर्मा ने बहस के दौरान कथन किया कि नगर पालिका सूरतगढ़ का विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा पारित आदेश एकतरफा, रेस्पोजेन्ट को बिना सूने एवं बिना पक्षकार बनाये दिया गया है। तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 03.06.2006 को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। अपीलान्त का यह पक्ष है कि उक्त विवादित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने से उक्त रकबा पर अपीलान्त का अधिकार है, जो अनुचित है। वर्तमान में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 मौके पर काबिज है। पिछले 40 सालों से रेस्पोजेन्टस संख्या 1 के कब्जे में है। जो बिना किसी आधार के नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज हुई। उक्त वादगत भूमि कभी भी अपीलान्तस को आवंटन नहीं हुई है। इसलिए अपीलान्त को व्यथित पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 11.11.2021 को यथावत रखा जावे एवं अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।


संभागीय आयुक्त
वीकानेर

5- हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की वहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केवल मात्र पैराफेरी क्षेत्र में आ जाने से आवंटी के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। हम अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

6- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर